संख्या– 12 /XVIII-(2)/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
चमोली।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास   देहरादून: दिनांक 07 फरवरी, 2005

विषयः– जनपद चमोली में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु वर्ष 2004–05 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1118/तेरह–17/2004–2005 दिनांक 30.12.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 511/XVIII-(2)/2004 दिनांक 9.7.2004 के द्वारा जनपद चमोली में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के तत्काल मरम्मत कार्य हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन थी कि रू0 5.00 लाख से ऊपर का आगणन शासन को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही धनराशि आहरण किया जायेगा।

2– तहसील जोशीमठ के उर्गम क्षेत्रान्तर्गत अतिवृष्टि/ भूस्खलन से ग्राम [illegible] के समीप 21 मीटर क्षतिग्रस्त लौह पुल के पुर्ननिर्माण पर दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 8.78 लाख के अनुमानित आगणन को टी.ए.सी. द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 8,41,000/– (रू0 आठ लाख इकतालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही उपरोल्लिखित शासनादेश दिनांक 9.7.2004 द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि से ही उक्त धनराशि के व्यय को भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

3– स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगी:–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्द नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार हैं अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में [illegible] किया गया है कार्य कराने से पूर्व [illegible] इंगित अवश्य कराया जाय, तथा इसका [illegible] करें।

5– शासनादेश में जिन मदों हेतु जो राशि आवंटित/ स्वीकृत की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई का होगा।

6— स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। जो कार्य नया हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7— कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।

8— दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यों का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

4— शासनादेश दिनांक 9.7.2004 में उल्लिखित अन्य शर्तें/ प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

5— समस्त कार्य निर्दिष्ट समय तक अवश्य पूर्ण कर लिये जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6— इस शासनादेश द्वारा कोई नई धनराशि स्वीकृति नहीं की जा रही है, वरन् उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 9.7.2004 द्वारा आवंटित धनराशि के विपरीत ही धनराशि के व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

7— उक्त समस्त कार्यों को कराये जाते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8— स्वीकृति धनराशि व्यय करते समय शासनादेश पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशा. संख्या— 65/वित्त अनु0 3/2004 दिनांक 4.2.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
3— कोषाधिकारी, चमोली।
4— निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
5— वित्त अनुभाग—3, उत्तरांचल शासन।
6— धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव